पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

<u>राज्यपाल ने दो विधेयकों पर अनुमोदन प्रदान किया</u>

लखनऊः 27 दिसम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित विधेयक 'राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016' तथा 'सैम हिग्गिनबाटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016' पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। विधेयकों के अनुमोदन हेतु पत्रावली राजभवन में 23 दिसम्बर, 2016 को प्राप्त हुई थी।

'राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016' द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के प्रकार-5 में पात्रता सूची में वरिष्ठ पत्रकार को सम्मिलित किया गया है। न्यास आदि को भवन आवंटन अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गयी है और उसका अधिकतम पांच वर्ष से बढ़ाकर एक बार में दस वर्ष तक के लिए नवीनीकरण करने, किराया निर्धारण करने तथा आवंटियों द्वारा किये गये अनधिृत अध्यासन को मूल अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों के अधीन खाली कराये जाने के प्राविधानों को संशोधित किया गया है।

'सैम हिग्गिनबाटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016' द्वारा राज्य के विन्ध्य कृषि जलवायु जोन में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के लिये सैम हिग्गिनबाटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) को शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा अन्य आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता हेतु इसे राज्य विश्वविद्यालय के अधीन उच्चीकृत कर पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्यपाल इसके कुलाध्यक्ष होंगे।

अंजुम/ललित/राजभवन (492/58)